फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

:- स्व. जगु कुंवर विपक्षी :- केसर सिंह

मुकदमा :- प्रार्थना पत्र पत्रावली संख्या 13/21सन् 2021 GCMS No. 2021/32

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
दिनांक : 29.07.2024	

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय पक्षकार उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 10 सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मूलवाद के साथ पेश किया गया है। उक्त वाद वसीयत को निरस्त करने हेतु पेश किया जो कि विचाराधीन है। उक्त प्रकरण अभी प्रारम्भिक स्टेज पर होकर न तो वाद पद बने है ना साक्ष्य प्रारम्भ हुई तथा विपक्षीगण का वादोतर भी पेश नहीं हुआ है। विपक्षीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत पेश किया तथा धारा 207 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत वसीयत निरस्त करने का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। विपक्षी ने इसी आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया है कि उक्त वाद का श्रवणाधिकार श्रीमान के न्यायालय को अधिक्षेत्र नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद को श्रीमान के न्यायालय में विधिक प्रावधान के विपरीत पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद को सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाया जाए ताकि प्रार्थी उक्त वाद को सक्षम न्यायालय में पेश कर सके।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वाद को सक्षम न्यायालय में पेश किए जाने हेतु लौटाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वास्ते अस्थाई निषेद्याज्ञा का मूल वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर किशोरीबाई के द्वारा की गई वसीयत को प्रथमदृष्टया फर्जी होकर शुन्य व अवैध है जिसको शुन्य घोषित फरमाया जाकर वसीयत के आधार पर खोले गये नामान्तकरण को खारिज फरमाया जावे तथा प्रार्थीगण को वादवर्णित भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने के साथ अस्थाई निषेद्याज्ञा का पेश किया गया है। प्रकरण वर्तमान में जवाब हेतु नियत है। हस्तगत प्रार्थना पत्र का मूल वाद प्रकरण संख्या 11/2021 अनवान मृतक जगुकुंवर बनाम केसर सिंह न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 10 स्वीकार किया जाकर वाद वादी को लौटाने का आदेश होने से इस

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी :– स्व. जगु कुंवर विपक्षी :– केसर सिंह

किस्म मुकदमा :– प्रार्थना पत्र पत्रावली संख्या 13 / 21सन् 2021 GCMS No. 2021

प्रकरण में भी अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। जिससे हस्तगत प्रकरण को भी लौटाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाये जाने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रिया डाबी)
IAS
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर